अनुदान संख्या 32 – आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 32–DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	3486,23,00		3941,87,00	3855,40,81	–86,46,19
पूरक	Supplementary	455,64,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,58,06
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	455,20,00		6729,59,00	6670,45,41	–59,13,59
पूरक	Supplementary	6274,39,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					44,69,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (8646.19 लाख रु.) नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 45564.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 19 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.8646.19 lakhs) constituted 19 percent of the supplementary grants of Rs.45564.00 lakhs obtained in November, 2007 and March, 2008 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	4382.00	4739.36	4516.29	–223.07
पु.	R.	357.36			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services					
मू.	O.	2256.00		2301.69	2053.55	–248.14
पु.	R.	45.69				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	4993.00		5271.07	4389.14	–881.93
पु.	R.	278.07				
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services					
मू.	O.	50.00				
पू.	S.	1.00		174.31	146.91	–27.40
पु.	R.	123.31				
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services					
मू.	O.	159700.00				
पू.	S.	45033.00		216233.00	210500.61	–5732.39
पु.	R.	11500.00				
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	24833.00				
पू.	S.	530.00		15977.05	15723.01	–254.04
पु.	R.	–9385.95				
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries					
मू.	O.	7420.00		3387.46	3263.90	–123.56
पु.	R.	–4032.54				

(I) 3602.02 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3550.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग - विकास सहायता'' के अंतर्गत योजनेतर व्यय संबंधी समिति से अनुमोदन प्राप्त न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "3075" - "अन्य - लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता - रेलवे को अदायगी" के अंतर्गत 127600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24933.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 152533.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रेलवे द्वारा कम पूंजीगत व्यय किए जाने की वजह से 9037.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2047'' - ''अल्प बचतों का संवर्धन - राष्ट्रीय बचत संस्थान'' के अंतर्गत 106.30 लाख रु. की बचत (1269.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय बचत संस्थान में पदों की कटौती किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड'' - 205.84 लाख रु. की बचत (796.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''ऋण वसूली अधिकरण'' - 562.22 लाख रु. की बचत (2818.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के भरे न जाने, किराया, दरों और करों के संबंध में कम आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(गा) 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान'' - 181.00 लाख रु. की बचत (656.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कम आवश्यकताएं होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.3602.02 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.3550.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries – Development Assistance" - due to non- receipt of approval from Committee on Non-Plan Expenditure.

(II) Under Major Head "3075" - "Others - Subsidy to Railways towards dividend Relief - Payment to Railways" - the original provision of Rs.127600.00 lakhs was augmented to Rs.152533.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24933.00 lakhs which, however remained unutilised to the extent of Rs.9037.01 lakhs due to release of less subsidy owing to less capital expenditure by Railways.

(III) Under Major Head "2047" - "Promotion of Small Savings – National Savings Institute" - saving of Rs.106.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1269.00 lakhs) was due to reduction of posts in National Saving Institute and economy measures.

(IV) Under Major Head "2070" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Board for Industrial and Financial Reconstruction" - saving of Rs.205.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.796.30 lakhs); and

(B) "Debt Recovery Tribunals" - saving of Rs.562.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2818.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, less requirement towards rents, rates and taxes and economy measures.

(C) "Grants-in-aid to Pension Fund Regulatory and Development Authority" - saving of Rs.181.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.656.00 lakhs) was due to less requirement by Pension Fund Regulatory and Development Authority and economy measures.

(V) मुख्य शीर्ष ''3475'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि को अंशदान'' - 107.53 लाख रु. की बचत (810.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''पीपीपी की तैयारी और मूल्यांकन में सुधार करने और व्यवहार्यता अंतर निधि के प्रचालनों के लिए विश्व बैंक अनुदान'' - 117.46 लाख रु. की बचत (161.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक निजी भागीदारी के मूल्यांकन करने और व्यवहार्यता अंतर निधि के प्रचालनों के लिए कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) ''भारतीय आयात-निर्यात बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता'' - 9300.77 लाख रु. की बचत (22800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय आयात-निर्यात बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3605'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अशंदान - अन्य विकास कार्यक्रम'' - 340.10 लाख रु. की बचत (2150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना निष्पादन अभिकरणों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि को अंशदान - वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए अंशदान'' - 169.73 लाख रु. की बचत (1065.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कम आवश्यकता होने और विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 306.93 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under Major Head "3475" – savings occurred under the following heads:-

(A) "International Cooperation-Contribution to Common-Wealth Fund for Technical Cooperation" - saving of Rs.107.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.810.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "World Bank Grant to improve preparation and appraisal of PPP and operations of the Viability Gap Fund" - saving of Rs.117.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.161.00 lakhs) was due to less requirement for appraisal of Public Private Partnership and operations of Viability Gap Fund.

(b) "Interest Equalisation support to Exim Bank of India" - saving of Rs.9300.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22800.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the Exim Bank of India.

(VI) Under Major Head "3605" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Contribution to United Nations Development Programme-Other Development Programme" - saving of Rs.340.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2150.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the project executing agencies under United Nations Development Programme.

(B) "Contribution to Global Environment Trust Fund - Contribution for Global Environment Facility" - saving of Rs.169.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1065.00 lakhs) was due to less requirement from Global Environment Trust Fund and United Nations Development programme and exchange rate variation.

(VII) Under four heads savings of Rs.306.93 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent to 37 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (11596.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में 45034.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2075'' - ''अन्य व्यय - देशी सहयोग ढांचा-II के लिए अंब्रेला सहायता परियोजना'' - 96.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3075'' - ''अन्य - लाभांश राहत के प्रति रेलवे को आर्थिक सहायता - रणनीतिक रेलवे लाइनों के प्रचालन पर रेलवे को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति'' - 11500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 14804.62 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - आर्थिक कार्य विभाग'' - 134.29 लाख रु. का अधिक व्यय (4382.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय के लंबित दावों को स्वीकृति प्रदान किए जाने, द्विपक्षीय वार्ताओं के संबंध में बाह्य प्रतिनियुक्ति में वृद्धि होने और अद्यतन हार्डवेयर की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''विशेष जांच समिति - तेहरवां वित्त आयोग'' - 429.03 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तेहरवें वित्त आयोग के लिए कार्यालय आवास किराए पर लेने और हार्डवेयर की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 77.01 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 335 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.11596.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.45034.00 lakhs in November, 2007 and March, 2008 - under the following major heads:-

(A) Major Head "2075" – "Other Expenditure – Umbrella Support Project for Country Co-operation Frame Work-II" – Rs.96.00 lakhs.

(B) Major Head "3075" - "Others - Subsidy to Railways towards dividend relief - Reimbursement of losses of Railways on operating strategic Railway lines" - Rs.11500.00 lakhs. Actual excess, however was Rs.14804.62 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Department of Economic Affairs" – excess of Rs.134.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4382.00 lakhs) was due to clearance of pending claims of Ministry of External Affairs, increase in foreign deputation in connection with bilateral negotiations and procurement of latest hardware.

(B) Major Head "2070" - "Special Commission of Enquiry- Thirteenth Finance Commission" - excess of Rs.429.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to hiring of office accommodation and purchase of hardware for 13th Finance Commission.

(III) Under one head excess of Rs.77.01 lakhs occurred constituting 335 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	10000.00	602300.00	602300.00	. .
पू.	S.	592300.00			
मुख्य शीर्ष ''7605'' विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	10168.00	5682.00	4240.89	–1441.11
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–4487.00			

(I) 1201.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''7605'' - ''मारीशस की सरकार को कर्ज - नया ऋण 1994'' के अंतर्गत प्रतिपूर्ति दावों के प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.1201.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.1200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "7605" - "Loans to Government of Mauritius-New Credit 1994" - due to non-receipt of reimbursement claims.

(II) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''अन्य व्यय - अवसंरचना विकास के लिए सहायता'' के अंतर्गत 7700.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों से 16 परियोजनाओं के संबंध में अनुमोदन प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5475" - "Other Expenditure - Assistance for Infrastructure Development" - saving of Rs.7700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non-receipt of approval in respect of 16 projects from the concerned implementing Ministries.

(III) मुख्य शीर्ष ''7605'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''कंबोडिया की सरकार को कर्ज - नया ऋण'' - 894.36 लाख रु. की बचत(1168.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''श्रीलंका की सरकार को कर्ज - नया ऋण 1994'' - 3943.95 लाख रु. की बचत (7700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under Major Head "7605" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Loans to Government of Cambodia-New Credit" - saving of Rs.894.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1168.00 lakhs); and

(B) "Loans to Government of Sri Lanka-New Credit 1994" - saving of Rs.3943.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7700.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उक्त सरकारों को दी गई अधिकतम ऋण सीमा के संबंध में प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (7831.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2008 में 592301.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''आरक्षित निधि को अंतरण - सामाजिक एवं अवसंरचनात्मक विकास पूंजीगत निधि को अंतरण'' - 7700.00 लाख रु.।

(II) मुख्य शीर्ष ''7605'' - ''म्यांमार की सरकार को कर्ज - नया ऋण'' - 131.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 127.83 लाख रु. था।

Savings under the above two heads were due to receipt of less reimbursement claims in respect of credit line extended to said Governments.

4. The above savings were partly (Rs.7831.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.592301.00 lakhs in March, 2008 under the following major heads:-

(I) Major Head “5475’-“Transfer to Reserve Fund- Transfer to Social and Infrastructure Development Capital Fund” - Rs.7700.00 lakhs.

(II) Major Head “7605” - “Loans to Government of Myanmar-New Credit” - Rs.131.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.127.83 lakhs.